प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़: बिलासपुर

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3996/2007

याचिकाकर्ता:

खेमेश्वर पाणिग्रही, पिता श्री संत प्रसाद पाणिग्रही, आयु लगभग 34 वर्ष, सहायक शिक्षक, खण्ड स्रोत समन्वयक, खण्ड स्रोत कार्यालय, विकासखण्ड- लोहण्डीगुडा, जिला - बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य शासन, द्वारा: सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. जिला परियोजना संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जगदलपुर (छ.ग.)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जगदलपुर (छ.ग.)

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका</u>

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्रीमती माला दुबे, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए श्री ए. एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता।

आपत्तिकर्ता के लिए श्री आलोक देवांगन, अधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 27.03.2008 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने जिला परियोजना आयुक्त, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जगदलपुर, जिला बस्तर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2007 (संलग्नक पी/2) की विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला, चंदनपुर, विकासखण्ड लोहण्डीगुडा में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसे आदेश दिनांक 10.12.2004 (संलग्नक पी/1) के माध्यम से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और विकासखण्ड स्रोत केंद्र, लोहण्डीगुडा में पदस्थ किया गया था। प्रतिनियुक्ति की अवधि आदेश में विहित नहीं की गई थी। सेवा के दो वर्ष पूरे होने के बाद, आक्षेपित आदेश दिनांक 01.06.2007 (संलग्नक पी/2) द्वारा

याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रतिनियुक्ति से वापस ले लिया गया और याचिकाकर्ता को मूल विभाग में संप्रत्यावर्तित कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती माला दुबे ने तर्क दिया है कि परिपत्र दिनांक 02.12.1988 (संलग्नक पी/3) के अनुसार, दोनों पक्षों और संबंधित कर्मचारी की सहमति के बिना याचिकाकर्ता की सेवाओं को संप्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है।

4. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. एस. कछवाहा ने तर्क दिया है कि दिनांक 02.12.1988 के परिपत्र के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होनी चाहिए। परिपत्र संबंधित विभागों के लिए दिशा-निर्देशों के स्वरूप में है, जो उन मामलों में लागू होता है जहाँ शासकीय सेवकों को मूल विभाग और उधार लेने वाले विभाग की सहमति के बिना दो वर्ष की अवधि से पहले संप्रत्यावर्तित किया जाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता को पक्षों की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, अतः दो वर्ष पूरे होने पर किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी और अधिकारी को वापस बुलाया जा सकता है या मूल विभाग में संप्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है और अभिवचनों तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है। निर्विवाद रूप से

वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 10.12.2004 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और आदेश दिनांक 01.06.2007 द्वारा प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई थी और याचिकाकर्ता को दो वर्ष की अवधि के बाद वापस मूल विभाग में संप्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

6. यदि याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है कि संबंधित कर्मचारी की सहमति के बिना दो या तीन वर्षों के बाद कोई संप्रत्यावर्तन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, तो इससे एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, संभव है कि कोई कर्मचारी, जिसे दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, मूल विभाग में वापस आने के लिए सहमत न हो। इस प्रकार, सीमित अवधि के लिए प्रारंभिक स्तर पर सहमति आवश्यक है, लेकिन प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद नहीं। यदि निर्दिष्ट अवधि के बीच में प्रतिनियुक्ति रद्द की जाती है, तो विभाग की सहमति और संबंधित कर्मचारी की सहमति आवश्यक हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परिपत्र दिनांक 02.12.1988 (संलग्नक पी/3) स्थिति स्पष्ट करता है, क्योंकि कुछ मामलों में यह देखा गया था कि शासकीय सेवकों को पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उसके बाद उन्हें कभी संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया। प्रतिनियुक्ति आदेश उस अवधि को नहीं

दर्शाता है जिसके लिए याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सामान्य मामलों में न्यूनतम अवधि दो वर्ष होती है जिसे परिपत्र दिनांक 02.12.1988 (संलग्नक पी/3) के अनुसार चार वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:-

> "..... (2) प्रतिनियुक्ति का चयन पैनल के आधार पर होने के उपरान्त चयन किये गये व्यक्ति को सेवाएँ कम से कम दो वर्ष के लिये ली जानी चाहिये। यह अवधि दोनो विभागों की सहमति से कुल मिलाकर चार वर्ष तक बढाई जा सकेगी व उसे किसी भी हालत में प्रतिनियुक्ति पर चार वर्ष की अवधि के उपरान्त बगैर मुख्यमंत्री जी के कार्मिक विभाग के मार्फत अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं रखा जाये। ऐसे समस्त प्रतिनियुक्ति समय बढाने के प्रकरण की अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व कार्मिक विभाग को प्रशासकीय अनुमोदन के उपरान्त सुस्पष्ट संक्षेपिका व शासकीय सेवक की अद्यतन गोपनीय वैयक्तिक नस्ती के साथ भेजे जावें। ..... "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पूर्वोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि शासकीय सेवक को उसकी सहमति के बिना कभी भी संप्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, सारहीन है और इसे खारिज किया जाता है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य एवं अन्य विरुद्ध इंदर सिंह एवं अन्य**[1] के प्रकरण में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल संवर्ग/विभाग में प्रतिनियुक्ति और संप्रत्यावर्तन पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"18. सेवा विधि में 'प्रतिनियुक्ति' की अवधारणा को सुस्थापित किया गया है और इसका एक मान्यता प्राप्त अर्थ है। सेवा विधि में 'प्रतिनियुक्ति' का एक अलग अर्थ है और शब्द 'प्रतिनियुक्ति' का शब्दकोश अर्थ किसी काम का नहीं है। सरल शब्दों में 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ है संवर्ग के बाहर या मूल विभाग के बाहर सेवा। प्रतिनियुक्ति किसी कर्मचारी को उसके संवर्ग के बाहर के पद पर, अर्थात किसी अन्य विभाग में अस्थायी आधार पर प्रतिनियुक्त करना या स्थानांतरित करना है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारी को उसी पद पर आसीन होने के लिए अपने मूल विभाग में वापस आना पड़ता है, जब तक कि इस बीच उसने भर्ती नियमों के अनुसार अपने मूल विभाग में पदोन्नति प्राप्त न कर ली हो। स्थानांतरण पदस्थापना के सामान्य क्षेत्र से बाहर है या नहीं, इसका विनिश्चय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो उस सेवा या पद को नियंत्रित करता है जहाँ से कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाता है। प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति की सहमति के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (1997) 8 SCC 372

बिना कोई प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती है और इसलिए, वह प्रतिनियुक्ति पद पर अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जानता होगा। प्रतिनियुक्ति और संप्रत्यावर्तन पर विधि काफी स्थिर है जैसा कि हमने ऊपर संदर्भित विभिन्न निर्णयों में भी देखा है..."

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उमापति चौधरी विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य**[2] के प्रकरण में 'प्रतिनियुक्ति' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:-

"प्रतिनियुक्ति को उपयुक्त रूप से एक विभाग या संवर्ग या यहाँ तक कि एक संगठन (जिसे सामान्यतः मूल विभाग या सेवा देने वाला प्राधिकारी कहा जाता है) के एक कर्मचारी (जिसे सामान्यतः प्रतिनियुक्त कहा जाता है) को दूसरे विभाग या संवर्ग या संगठन (जिसे सामान्यतः सेवा उधार लेने वाला प्राधिकारी कहा जाता है) में एक कार्यभार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लोक सेवा की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए लोक हित में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमतिजन्य है और इसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाएं उधार देने का एक स्वैच्छिक निर्णय और उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा की तदनुरूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 (1999) 4 SCC 659

स्वीकृति शामिल है। इसमें कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर जाने या न जाने की सहमति भी शामिल है।"

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रसार भारती एवं अन्य विरुद्ध अमरजीत सिंह एवं अन्य**[3] के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"13. 'स्थानांतरण' और 'प्रतिनियुक्ति' के बीच एक अंतर मौजूद है। 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ उस संवर्ग के बाहर या मूल विभाग के बाहर सेवा है जिसमें एक कर्मचारी सेवारत है। हालांकि, 'स्थानांतरण' उसी संवर्ग और उसी विभाग में समकक्ष पद तक सीमित है। जबकि प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी घटना होगी, स्थानांतरण इसके विपरीत होने के कारण विपरीत स्थिति को प्रदर्शित करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में स्कूल शिक्षा विभाग से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन में सेवा का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक के रूप में मूल पद धारण करते हुए, केवल उसी विकासखण्ड लोहण्डीगुडा में माध्यमिक शाला, चंदनपुर से विकासखण्ड स्रोत केंद्र में भेजा गया था। याचिकाकर्ता को राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन में हमेशा के लिए प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी कर ली है।

3 AIR 2007 SC 1269

13. ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur